

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0
धन्वन्तरि भवन, 7 लालबाग, लखनऊ 226001

दूरभाष
कार्यालय : -0522 4063540

वेबसाइट: www.bimup.org
ईमेल- bim.upup@gmail.com

पत्रांक 1384/बोर्ड - साठप्रशातो मान्यता (23-24) / 23 (11)

लखनऊ दिनांक 25-7-2023

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव

कृष्णा आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल
ग्राम-कमलापुर पो-छुटमलपुर जिला-सहारनपुर

विषय:- आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट/उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु संस्था को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 की संकाय की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2023 में की गई संस्तुति के आधार पर बोर्ड की बैठक दिनांक 19-07-2023 को प्रदान की गई स्वीकृति के अनुपालन में आपके प्रशिक्षण केन्द्र को सत्र 2023-24 से अग्रिम आदेशों तक के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की 50 सीटों एवं आयुर्वेदिक उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की 30 सीटों हेतु मान्यता/सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 01- बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों के अधीन संस्था प्रवेश स्वयं करेगी।
- 02- प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक प्रवेश लिये जा सकेंगे। दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 में प्रत्येक दशा में संस्था द्वारा अपनी प्रवेश सूची मय प्रपत्रों सहित बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। संकाय द्वारा प्रवेश सूची का परीक्षण करने के उपरान्त छात्रों को इनरोलमेण्ट नं0 निर्गत किया जायेगा। तथा ऐसे ही छात्र बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यदि कोई संस्था उपरोक्त तिथि तक प्रविष्ट छात्रों की सूची जमा नहीं करती है तो उस संस्था का सत्र शून्य माना जायेगा।
- 03- बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है। पठन-पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा की जायेगी। त्रुटि पाये जाने पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
- 04- आपके प्रशिक्षण केन्द्र को बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- 05- बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क रु0 42,240-00 एवं उपचारिका का प्रशिक्षण शुल्क रु0 36,000-00 प्रतिवर्ष निर्धारित है उक्त निर्धारित फीस की धनराशि संस्था छात्र/छात्राओं से लेगी।
- 06- बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट एवं यूनानी फार्मेसिस्ट /उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अन्य शुल्क का विवरण निम्नवत है :-

प्रशिक्षण अवधि के लिए

मैगजीन	रु0 200-00
एडमीशन	रु0 2000-00
आईडेन्टीटी कार्ड	रु0 200-00
एनुवल फंक्शन	रु0 1000-00
काशन मनी	
कालेज	रु0 2000-00 (रिफण्डेबुल)
हास्टल	रु0 2000-00 (रिफण्डेबुल)

- 07- सत्र 2023-24 की सम्बद्धता शुल्क रु0 25,000-00 (प्रति पाठ्यक्रम) का बैंक ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 05-10-2023 तक जमा करना अनिवार्य है।
- 08- यह मान्यता आप द्वारा पैनल सदस्यों को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(डा० अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार